प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1—अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, पौड़ी/नैनीताल।
2—मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू०एल०डी०बी०/शीप बोर्ड, देहरादून।
3—समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4—समस्त परियोजना निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
5—समस्त रोग अनुसंधान अधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

संख्या: /स्था०एक/प०प्र०अ०सं०—वि०अ०/2025—26 दिनांक 16 जून, 2025

विषय: **डिप्लोमा पशुचिकित्सा सेवा संघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी की आम बैठक हेतु तीन दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रांतीय अध्यक्ष/महासचिव, डिप्लोमा पशुचिकित्सा सेवा संघ उत्तराखण्ड प्रदेश के पत्र संख्या 217—19/दिनांक 14.06.2025 के द्वारा डिप्लोमा पशुचिकित्सा सेवा संघ उत्तराखण्ड प्रान्तीय कार्यकारिणी का द्विवर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त प्रांतीय संघ अधिवेशन/नई कार्यकारिणी का गठन किये जाने हेतु दिनांक 26.06.2025 से 28.06.2025 को तीन दिन का विशेष अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रांतीय अध्यक्ष/महासचिव, डिप्लोमा पशुचिकित्सा सेवा संघ उत्तराखण्ड प्रदेश के उक्त पत्र दिनांक 14.06.2025 में किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या 336/XXX(2)/2011 दिनांक 03 जून, 2011, शासनादेश संख्या 283/का—4—7—ई.एम.—1981 दिनांक 20.05.1983 एवं शासनादेश संख्या 1847/का—4—7/ई.एम.—81—83 दिनांक 04.10.1983 में निहित प्राविधानों के अनुसार डिप्लोमा पशुचिकित्सा सेवा संघ उत्तराखण्ड की प्रदेश प्रान्तीय कार्यकारिणी का द्विवर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त प्रांतीय संघ अधिवेशन/नई कार्यकारिणी का गठन किये जाने हेतु संघ के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को दिनांक 26.06.2025 से 28.06.2025 तक 03 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है :—

(क) कार्यकारिणी के केवल उन्हीं सदस्यों को प्रार्थना पत्र देने पर यह अवकाश सुविधा अनुमन्य होगी जो कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक के स्थान से बाहर से आयें। स्थानीय सदस्यों को यह सुविधा केवल एक दिन हेतु देय होगी तथा उपरोक्त अवकाश केवल संघ में रजिस्टर्ड सदस्यों को ही अनुमन्य होगा।

(ख) उपरोक्त विशेष आकस्मिक अवकाश की गणना सम्बन्धित कर्मचारियों को मिलने वाले सामान्य आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी प्रकृति के अवकाश के साथ न की जायेगी।

भवदीय,

(डा० नीरज सिंघल)
निदेशक।

पृ०सं०: 1401/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रांतीय अध्यक्ष/महासचिव, डिप्लोमा पशुचिकित्सा सेवा संघ उत्तराखण्ड प्रदेश को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० नीरज सिंघल)
निदेशक।